



कार्यालय वन संरक्षक यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक 1307 / 12-1 (1) दिनांक, देहरादून, 23, दिसम्बर 2016

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय: जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड मोरी में कुनारा पासा नहर निर्माण हेतु वांछित 0.69 है० वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत हस्तांतरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:— FP/UK/IRRIG/ 7292 / 2014

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के सम्बन्ध उत्तराखण्ड शासन स्तर से सृजित क्वैरी के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक, टौस वन प्रभाग द्वारा अपने पत्रांक 1029/12-1 दिनांक 20-12-2016 से इस कार्यालय को अवगत कराया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा शासन की क्वैरी का निराकरण अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून को सम्बोधित व अनु सचिव वन अनुभाग 4 उत्तराखण्ड शासन को पृष्ठिकित अपने पत्रांक 1244/सि०ख०पु०/एल०-1 (कुनारा-पासा) दिनांक 29.09.2016 से पूर्व में ही कर दिया गया है। (प्रतियां संलग्न हैं)

क्वैरी के बिन्दु संख्या 4 के सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पत्रांक 1456/सि०ख०पु०/एल०-1 (कुनारा-पासा) दिनांक 21.11.2016 से मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून की वांछित आख्या हेतु पृथक से प्रक्रिया प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है। (प्रति संलग्न हैं)

अतः प्रश्नगत क्वैरी के सम्बन्ध में निराकरण आख्या मय संलग्न आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(जन्मेजय सिंह)

मुख्य वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।